Inspira-Journal of Commerce, Economics & Computer Science (JCECS)
ISSN : 2395-7069 GIF: 2.7273, CIF: 4.964, Volume 05, No. 04, October-December, 2019, pp. 190-196

राजस्थान में पंचायती राज का ग्रामीण विकास में योगदान

शुभ करण*

परिचय

2 अक्टूंबर 1959 को लोकतांत्रिक विकेन्द्रिकरण के स्वप्न को साकार करने हेतु राजस्थान में पंचायती राज का श्रीगणेश हुआ। 1953 के अधिनियम में 'ग्राम सभा' का संदर्भ नहीं था परन्तु व्यावहारिक रूप में वर्ष में दो बार ग्राम सभा की बैठक आमंत्रित की जाती थी जिसमें ग्राम के सभी लोगों की उपस्थिति में ग्राम पंचायत के कार्यो, विशेषकर विकास कार्यो की समीक्षा की जाती थी।

स्वतन्त्रता के पश्चात ग्रामीण विकास की दिशा में अनेक प्रयास किये गये है। भारत में पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली का सूचक है। भारत के समस्त राज्यों में इसका गठन राज्य विधानमण्डलों के अधिनियम द्वारा सबसे निचले स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। इसे ग्रामीण विकास के क्षेत्र से सम्बन्धित कार्य और उतरदायित्व सौपे गये है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इस प्रकार संविधान की सातवीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची में पांचवी प्रविष्टि स्थानीय शासन से सम्बन्धित है।

स्वतन्त्रता के पश्चात पंचायती राज का अध्ययन निम्न तीन भागों किया गया है–

- लोकतान्त्रिक विकेन्दीकरण, सिद्धान्त
- भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्दीकरण व्यवहार 1950–1992
- भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्दीकरण व्यवहार 1993 – आज तक।

लोकतान्त्रिक विकेन्दीकरण सिद्धान्त

लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण स्थानीय स्वशासन का ही एक प्रमुख रूप है। पंचायत राज और लोकतान्त्रिक विकेन्दीकरण दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये है। इसका अर्थ होता है सता का विकेन्दीकरण किया जाना चाहिए जिससे अधिकाधिक जनता को सता में भागीदारी मिलने का अवसर प्राप्त हो सके। इसे ग्रासरूट डेमोक्रेसी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। धरातल पर लोकतन्त्र से तात्पर्य है ऐसी राजनीतिक संरचना जिसमें लोकतंत्र स्थानीय स्तर तक पहुंच सके और वह केवल राष्ट्रीय और प्रान्तीय स्तर तक ही सीमित न रहे। अतः यह पद्धति लोकतन्त्र में लोगों की सहभागिता को सही अर्थो में सुनिश्चित करने का माध्यम है। जिसमें सार्वजनिक कार्यो के प्रबन्ध का प्रारम्भ और अन्त केवल उच्च स्तर तक पर नहीं होता बल्कि स्थानीय क्षेत्रों में सामान्य लोगों के सहयोग से होता है। आर बी जैन के शब्दों में संक्षेप में धरातल पर लोकतन्त्र के गहराई से बीजारोपण का प्रयत्न है।

भारत में पंचायती राजः उज्जवल पक्ष

भारत में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण के मूल्यांकन से सम्बन्धित कतिपय सकारातमक पक्ष इस प्रकार कहे जा सकते हैं –

शासन प्रणाली के सर्वश्रेष्ठ रूप अर्थात '**लोकतन्त्र ' की ग्रासरूट' स्तर पर स्थापन** पंचायती राज के माध्यम से ही सम्भव हुई है। लोकतांन्त्रिक विकेन्द्रीकरण की मूर्तरूप पंचायती राज संस्थाओं ने निर्धन, निरक्षर, असंगठित तथा अपेक्षित ग्रामजनों को आवाज एवं जुबान दोनों दी हैं।इस सुख को हवी बता सकता हैं जिसने इसे वास्तव में भोगा है। स्वतंत्रता के इन छः दशकों में विश्व भर में कौतुहल का विषय रहा है कि तमाम प्रकार की विसंगतियों एवं विविधताओं के उपरान्त भी भारतीय लोकतंत्र जीवित कैसे है?

* शोद्यार्थी, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

विगत के कुछ दशक निश्चित रूप से भारतीय लोकतन्त्र के लिए झंझावत ही थे जो उसने अपनी सनातन परम्परा के द्वरा सहज ही झेले भी है। लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में कम मतदान की जो उदासीनता प्रदर्शित होती है वह पंचायत चुनाव में उड़न छू हो जात है। वैसे भी स्थानीय संस्थाएँ विशेषतः पंचायती राज लोकतन्त्र की पाठशाला कही जाती हैं आज भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र कहा जाता है क्योंकि भारत में न केवल संघीय एवं प्रांतीय सरकारें प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का सशक्त प्रमाण है। बल्कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकारें भी है। **ग्रामीण भारत का मतदाता सामान्यतः छः प्रकार की जनप्रतिनिधि चुनता है–**

- लोकसभा का सांसद
- विधानसभा का विधायक
- सरपंच
- वार्ड पंच
- पंचायत समिति प्रतिनिधि
- जिला परिषद् प्रतिनिधि

भारत में कुल जनप्रतिनिधियों की संख्य लगभग 31 लाख है। जिनमें पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 22 लाख जनप्रतिनिधि चुने जाते है। जिसमें 40 प्रतिशत से भी अधिक (9 लाख) महिलाएँ है। सामान्यतः हर वार्ड पंच के निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 340 व्यक्ति (70 परिवार) सम्मिलित होते है। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है।

- 73वें संविधान के पश्चात **पंचायतीराज संस्थाओं को संस्थागत या संरचनात्मक (ढाँचा) स्वरूप प्राप्त** हो चुका है अर्थात् इन संस्थाओं की स्थापना, निर्वाचन तथा आरक्षण व्यवस्था नियमित प्रक्रिया बन चुकी है। जो कि पूर्व के दशकों में स्थायित्व प्राप्त नहीं था। अब चाहे कैसी भी विषय परिस्थितियाँ हों, ये संस्थाएँ विद्यमान रहेंगी। हाँ, इनका कार्यक्षेत्र, प्रकृति एवं स्वरूप परिवर्तित हो सकता है। लेकिन कदम आगे की ओर बढेंगे यह निश्चित हो चुका है।
- आरक्षण की सुविधा के चलते **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो (कुछ राज्यों में)** के व्यक्तियों का **राजनीतिक सशक्तिकरण** हुआ है। पूर्ववर्ती पंचायतों में प्रायः गाँव के प्रभुत्व जाति के धनी एवं रौब–दाब वाले व्यक्ति सरपंच इत्यादि बनते थे। किन्तु आरक्षण व्यवस्था से सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आ चुका है। यदि यह कहा जाए कि स्वतंत्र भारत में पिछड़ी जातियों में आयी **राजनीतिक चेतना** अपने आप में एक क्रांति है तो कोई अतिश्योक्ति न होगी। आज राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति ये है कि यह वर्ग सरकार निर्धारित करने में सबसे सशक्ति ताकत सिद्व हो रहा है।
- महिलाओं को मिले एक तिहाई आरक्षण ने पुरूष समाज में **घुँघट में सिसक रही ' आधी दुनिया' की सारी दुनिया ही बदल दी है।** आज अकेले राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के कुल 1,20,553 जनप्रतिनिधियों में से 40, 543 सदस्य महिलाएँ हैं जो 33.33 प्रतिशत से भी अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज जन प्रतिनिधियों में लगभग 9 लाख महिलाएँ है। ज्ञात रहे देश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33.33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। जबकि राष्ट्र स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 42 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि है। उत्तर प्रदेश में 54 प्रतिशत जिला पंचायतों की अध्यक्ष महिलाएँ हैं तथा कर्नाटक की पंचायती राज संस्थाओं में चयनित जनप्रतिनिधियों में 45 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि है। चाहे पुरूषों को स्वीकार है या नहीं किन्तु एक तिहाई गाँवों की पंचायते महिलाएँ संभाल रही हैं। **महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देखिए–** राजस्थान में 73वें संविधान के बाद सन् 1995 में हुए चुनावों के बाद चुनी गई 3050 महिला संरपचों में से 2000 निरक्षर थी। लेकिन सन् 2000 के दूसरे चुनाव में मात्र 900 महिला सरपंच निरक्षर थीं। सन् 2005 के तीसरें चुनाव में 720 महिला सरपंच निरक्षर है। किन्तु उनमें से 500 से अधिक महिला सरपंच चैक पर अगूँठा नहीं लगाती हैं। बल्कि उन्होंने हस्ताक्षर करना सीख लिया है। इस विवरण के लेखक ने राज्य स्तरीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान में रहते हुए सन् 2002 में महिला सरपंचों हेतु एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में भाग लिया तो पाया कि झुंझुनू (राजस्थान) के प्रशिक्षण केन्द्र में रात्रिकालीन सत्रों में शिक्षित महिला सरपंच अपनी निरक्षर साथियों को साक्षर बनाती थी। ताकि उन्हें **'अगूँठा टेक'** के ताने से मुक्ति मिले और साथ ही फर्जी अगूँठा निशानी लगाकर पंचायत सचिव द्वारा गबन के प्रकरणों से मुक्ति मिले। इसका सुपरिणाम यह हुआ है कि राजस्थान में महिला सरपंच के फर्जी अँगूठा निशानी लगाकर चैक आहरित करने

की शिकायतें जहाँ सन् 1995 से 2000 के मध्य 350 से अधिक थी, उनकी संख्या 2000–2005 के मध्य 18 ही रह गई। स्थिति यह है कि घूँघट में सिमटी नयी महिला सरपंच अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष में सवाल करने लग जाती है। शुरूआती चरण में उसे पति, ससुर, जेठ, देवर या पुत्र के सान्निधय में कार्य करना पड़ता है। राजस्थान में आजकल सरपंच पति, प्रधान पति जैसे नये पदनाम भी प्रचलित हो रहे है।

- पंचायती राज की नयी प्रणाली से छोटे परिवार की अवधारणा को बल मिला है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा हरियाणा में यह प्रावधान है कि 2 से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति पंचायती राज का जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता है। राजस्थान में सन् 1997–2000 के मध्य 500 से भी अधिक पंचायती राज प्रतिनिधियों इसी प्रावधान के कारण अपनी सदस्यता खो बैठे थे। राज्य उच्च न्यायालय ने भी इस प्रावधान को वैध तथ समयानुकूल ठहराया है । ऐसी स्थिति में समाज में एक सकारात्मक संदेश फैल रहा है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्ट योजना, सम्पर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इन्दिरा आवासा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वजल धारा, वाटर शैड (हरियाली) योजना तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से लेकर बी.पी.एल. सेन्सस तक सभी ग्राम विकास योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायती राज क माध्यम से सफलतापूर्वक हो रहाहै।
- महिला सरपंचों, पंचों एवं अन्य प्रतिधियों के कारण अब विकास कार्यों की प्राथकिताएँ बदल गई है। पूर्व में पुरूष सरपंच प्रायःसड़क, पुलिया, खरंजा, पंचायत या पटवार भवन के प्रस्ताव अधिक रखते थे। जबकि महिला जनप्रतिनिधि शौचालय, हैण्डपम्प, पीने का पानी, टीकाकरण, पोषाहार, तथा ईधन समस्या पर प्रस्ताव अधिक देती है। स्पष्ट है सामाजिक विकास एवं मानव संसाधन विकास के नये युग का सूत्रपात हो रहा है।
- विकाय कार्यों में जनसहभागिता केवल पंचायती राज के माध्यम से ही सम्भव हुई है। वास्तविकता यह है कि आज ग्रामीण विकास एक मुद्दा है। दूसरे शब्दों में कहें तो विकास के अधिकार (राइट टू डिवेलपमेण्ट) को लेकर ग्रामवासी अत्यधिक जागरूक है तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से अपनी विकास आवश्यकताओं को पंचायतों के दबाव में पूरा करवा रहे हैं।

शोध की आवश्यकता

भारत गाँव प्रधान देश है। प्राचीन काल से ही भारतीय ग्रामीण समुदाय की संरचना के तीन प्रमुख आधार थे – जाति प्रथा, संयुक्त परिवार व ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की भारतीय ग्रामीण जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ग्राम पंचायत के द्वारा ही गाँवों के सम्पूर्ण कार्य जैसे – शासन व्यवस्था, शान्ति, सुरक्षा एवं आपसी लड़ाई–झगड़ों का फैसला ग्राम पंचायतें ही करती थीं। पंचायतें प्राचीन भारत की आधार शिलाएँ थीं। इसकी पुष्टि इसी आधार पर होती है कि इसका उल्लेख ऋग्वेद व अथर्ववेद में भी मिलता है, साथ ही रामायण, महाभारत, बौद्धकाल और यहाँ तक कि उत्तरवैदिक काल में भी भारतीय ग्रामों में पंचायतों का जाल बिछा था। पंचायतों का अस्तित्व सभी शासन कालों में मिलता है और सभी कालो में पंचायती राज की भूमिक अत्यन्त अहम रही है। इसी को देखते हुए शोधार्थी ने इस समस्या का चयन किया गया।

साहित्य की समीक्षा

गुप्ता, गिर्राज गुप्ता, गिर्राज (1993) ने राजस्थान का अध्ययन कर वहाँ स्थित नई पंचायत राज व्यवस्था और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का नेतृत्व पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट किया है। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उच्च आय वर्ग एवं उच्च जीवन स्तर के लोगों को नेता बनने के अधिक अवसर होते हैं। बड़े परिवार के सदस्यों के नेतृत्व के क्षेत्र में आने की सम्भावनाएँ अधिक होती हैं। साथ ही नेतृत्व निर्धारण में जाति की अपेक्षा सामाजिक आर्थिक आदि कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

पवॉर, मीनाक्षी पवॉर, मीनाक्षी (1993) ने पंचायती राज और ग्रामीण विकास का अध्ययन खरगोन जिला (म0प्र0) का अध्ययन किया। इस अध्ययन में यह देखने का प्रयास किया है कि आजादी के उपरान्त एक लम्बी समय अवधि बीतने के बाद भी पंचायती राज व्यवस्था अपने लक्ष्यों के अनुरूप क्यों नहीं वांछित सफलता प्राप्त कर सकी है? वह कौन से कारण हैं जो इस मार्ग में बाधक बन रहे हैं। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से स्पष्ट हुआ है कि इस मार्ग में प्रमुख कारण ग्रामीण व्यक्तियों की अशिक्षा, क्षेत्रीय गुटबन्दी, भ्रष्टाचार एवं योजनाओं एवं कार्यक्रमों का ठीक प्रकार क्रियान्वयन न होना आदि प्रमुख हैं।

पंडित (1993) ने भारतीय राजनीति में अभिजनों की भूमिका का विश्लेषण कर स्पष्ट किया है कि वे राजनीति में केन्द्रीय भूमिका निभाते हैं। अभिजन व्यक्ति समाज के जन सामान्य के लिये अनुकरण का आधार बनते हैं, क्योंकि सामान्य जनता यह मानती है कि वे उनकी तुलना में अधिक योग्य एवं श्रेष्ठ हैं तथा वे योजना बना सकने कीयोग्यता एवं बुद्धि रखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नेतृत्व के नवीन प्रतिमान विकसित हो रहे हैं। महिलाएँ, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को नेतृत्व करने का अवसर मिल रहा है। यह सभी ग्राम पंचायत स्तर से केन्द्रीय स्तर तक की राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व करने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक आरक्षण उन्हें इस दिशा में आगे ब स्वार्थ–समूह के रूप में उभरकर आ रहे हैं। पंचायती राज की स्थापना तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों ने ग्रामीणों के राजनीतिक समाजीकरण में बहुत बड़ा योगदान किया है। अध्ययन से यह भी परिलक्षित हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उभरता हुआ नेतृत्व निम्न आयु वर्ग के शिक्षित युवाओं में देखा जा सकता है। यद्यपि जातीय श्रेष्ठता आज भी नेतृत्व का एक आवश्यक गुण बना हुआ है, तथापि निम्न जातियों के सदस्य भी नेतृत्व प्रक्रिया में धीरे–धीरे ब सुलझाने एवं विकास कार्यों हेतु निर्णय लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही नवीन पंचायती राज ने अनुसूचित जातियों के लिये विभिन्न विकास योजनान्तर्गत आरक्षण तथा संवैधानिक संरक्षण के अनुरूप विकास कार्य कराने, आर्थिक लाभांश प्रदान करने के सुअवसर प्रदान किये हैं, जिससे उनकी सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक दशायें सुधरी हैं।

बेदी, किरन बेदी, किरन (1996) ने पंचायतों के समक्ष चुनौतियों की विस्तृत विवेचना की है। स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज को ग्रामीण जीवन का एक अंग मान लिया गया है, इसलिये इसके अधिकार क्षेत्र काफी बढते जा रहे है।

विश्लेषण एवं तथ्य प्रक्षेप

ग्राम पंचायत– पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत सर्किल (लगभग 3000 जनसंख्या) पर एक ग्राम पंचायत का प्रावधान है जिसका गठन पंचायत क्षेत्र के मतदाता सीधे निर्वाचन द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए करते है। अधिनियम की धारा 50 में ग्राम पंचायत के कृत्य और शक्तियों का निम्नलिखित वर्णन किया गया है।

तालिका ग्राम पंचायतों के कार्य एवं शक्तियॉ

क्र.सं.	शीर्षक	क्र.सं.	शीर्षक
1	सामान्य कार्य जैसे– वार्षिक योजना तथा बजट तैयार करना, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता, अतिक्रमण निस्तारण आदि	2	ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसमें लोक मार्गो और अन्य स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था करना और उसका रख–रखाव सम्मिलित है।
3	प्रशासनिक कार्य	4	कृषि उन्नयन
5	पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन	6	मत्स्य पालन
7	सामाजिक और फार्म वानिकी, ईधन और चारा	8	लघु सिंचाई
9	खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग	10	ग्रामीण आवासन
11	पेयजल	12	सडके, भवन पुलियाऐं, पुल, नौघाट, जलमार्ग
13	गैर–परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत	14	ग्रीबी उन्मूलन कार्यक्रम
15	शिक्षा (प्राथमिक)	16	प्रौढ और अनौपचारिक शिक्षा
17	बाजार एवं मेले	18	ग्रामीण स्वच्छता
19	आंगनबाडी कार्यक्रम	20	राशन की दूकान के आवंटन

स्त्रोत : प्राथमिक

सन् 2004 में यह निर्णय भी लिया गया कि सभी ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जावें।

20 सूत्री कार्यक्रमः केन्द्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के टीडीपी डिवीजन की ओर से वर्ष 2007–08 के लिए जारी की गई बीस सूत्री कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट में राजस्थान को देश में पहला स्थान प्रदान किया गया है।

- **केस ऑफीसर योजनाः** अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के विरूद्ध अत्याचार के प्रकरणों के निष्पादन के लिए थाना स्तर पर यह योजना लागू करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है।
- **कालाडेराः** राज्य का पहला साइबर कियोस्क।

- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर सुविधा सम्पन्न होने के कारण अलवर स्थित मुख्य डाकघर देश का सर्वोत्तम डाकघर चुना गया है।
- **पुष्करः** यहॉ राजस्थान का पहला हाइटेक डाकघर स्थापित किया गया है।
- **एनिमेशन एकेडमीः** जयपुर के राजकीय खेतान पॉलीटेक्निक कॉलेज में राज्य की पहली एनिमेशन एकेडमी की शुरूआत की गई है।
- **फोरेंसिक साइंस लैब (विधि विज्ञान प्रयोगशाला):** पाली में स्थापित की जायेगी। अभी तक प्रदेश में मात्र दो स्थानों पर (जयपुर और जोधपुर में) इस प्रकार की प्रयोगशालाएँ है।
- **अनूपचंद गोयल आयोगः** 13 जून, 2005 को सोहेल कस्बे में बीसलपुर बॉध से पानी की मॉग करने वाले किसानों पर पुलिस द्वारा गोलिया चलाने की घटना की न्यायिक जॉच के लिए न्यायाधीश अनुप चन्द गोयल की अध्यक्षता में गठित की गई।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

64वें संविधान संशोधन के पारित नहीं हो पाने के बाद 1992 ई. में तात्कालिक प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में यह विधेयक पारित हुआ। यह 24 अप्रेल, 1993 को गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद प्रवर्तित हुआ। इस संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैः–

- **पंचायती राज संस्थाएँः** 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने हेतु संविधान में एक नया भाग 'भाग– पंचायत' शीर्षक के साथ अनुच्छेद 243 एवं 11वीं अनुसूची जोडी गई। पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई गई।
- **ग्राम सभाः** ग्राम सभा को स्थानीय स्वशासन की लोकतंत्रीय संस्था के रूप में प्राथमिक स्तर के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया।
- **आरक्षण**
  - **अनसूचित जातियों/जनजातियों हेतु आरक्षणः** आरक्षित स्थानों में कम से कम एक–तिहाई स्थान अनुसूचित जाति एवं जनजातियों लोगों हेतु आरक्षित रखे गये है।
  - **महिलाओं के लिए आरक्षणः** पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं को एक–तिहाई स्थानों का आरक्षण दिया गया।

    विशेष नोटः– वर्ष 2008 में राजस्थान में पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षण एक–तिहाई से बढाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस आरक्षण पर रोक लगा दी है।
  - **सभापति हेतु आरक्षणः** प्रत्येक स्तर की पंचायतों में सभापति अथवा अध्यक्ष के पद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु उस राज्य में उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में होंगे।
- **पंचायतों का कार्यकालः** प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक के लिए नियुक्त तिथि से पॉच वर्षो तक लगातार कार्य करेगी। यदि पंचायती राज संस्था निर्धारित समय से पूर्व भंग हो जाती है तो उसके विघटन की तिथि से छः माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व पुनः चुनाव करवाये जायेंगे।
- **पंचायतों की शक्तियॉः** किसी राज्य की विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियॉ तथा प्राधिकार प्रदान कर सकता है, जो उनको स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए समर्थ बनाने हेतु जरूरी है। पंचायतों को करारोपण हेतु आवश्यक प्रावधान करने का अधिकार राज्य विधान मंडलो को प्रदान किया गया है।
- **वित्तीय आयोगः** प्रत्येक पॉच वर्ष की समाप्ति पर राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जायेगा।
- **राज्य निर्वाचन आयोगः** पंचायतों के समस्त चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करने हेतु एक निर्वाचन आयोग होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

- **संविधान संशोधन की प्रभाविता नहीं होनाः** 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में इस भाग की कोई शर्त नगालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर राज्य के पहाडी क्षेत्र एवं पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र के पहाडी क्षेत्र जहॉ जिला परिषद् विद्यमान है, लागू नही होगी।

शोध के उद्देश्य

- पंचायत राज संस्थाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
- पंचायत राज संस्थाओं के कार्यो का अध्ययन करना।
- राजस्थान के विकास में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन करना।
- पंचायत राज संस्थाओं के कार्यक्षेत्र का अध्ययन करना।
- पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यो की प्रगति का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनायें

- पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका जनसहभागिता में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है।
- पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका में जनसहभागिता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- आरक्षण की सुविधा के चलते अनुसूचित जातियों जनजातियों एवं पिछडे वर्गो का राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं हुआ है।
- आरक्षण की सुविधा के चलते अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और पिछडे वर्गो का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है।
- पंचायत राज संस्थाओं से युवाओं की ग्रामीण विकास से सम्बन्धित जागरूकता में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
- पंचायती राज संस्थाओं से युवाओं की ग्रामीण विकास से सम्बन्धित जागरूकता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- राजस्थान के विकास में पंचायत राज संस्थाओं की कोई भूमिका नहीं है।
- राजस्थान के विकास में पंचायत राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण तब के लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई वृद्धि नहीं है।
- पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण तब के लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता में वृद्धि है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा अध्ययन क्षेत्र के रूप में झुन्झूनूं जिले का अध्ययन किया झुन्झूनू जिले में 8 तहसीलों की कुल ग्राम पंचायते लगभग 301 है एवं लगभग 945 ग्राम है।

शोध चयन

प्रस्तुत शोध समस्या से शोधार्थी द्वारा साहित्य समीक्षा करने के उपरान्त निष्कर्ष निकला कि इस समस्या पर अधिक शोध कार्य नहीं हुए है अतः शोधार्थी द्वारा उक्त समस्या का चयन किया गया है।

शोध अभिक्रियाकंन

प्रस्तुत अध्ययन में मूल रूप से ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है। पद्वति को प्रयुक्त किया जाएगा। अन्य सर्वेक्षण पद्वतियों का प्रयोग कर इस अध्ययन को अधिक विश्लेषणात्मक तर्कपूर्ण एवं वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। पंचायत राज के प्रभावों को स्पष्ट करने के लिए गुणात्मक आंकडों का प्रयोग करने के साथ साथ अधिकांशत वर्णनात्मक एवं तथ्यात्मक तथ्य प्रस्तुत किये।

- **प्राथमिक स्रोतः** प्रश्नावली, अवलोकन, अनुसूची, साक्षात्कार, खुले एवं बन्द प्रश्नों को लिया
- **द्वितीयक स्रोतः** पुस्तके, जर्नल, आर्टिकल, समाचार पत्र, सरकार की वेबसाइटस, सबसे महत्वपूर्ण इन्टरनेट, राजस्थान की सुजस पत्रिका, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय झुन्झुनूं का प्रयोग किया

परिकल्पना की जांच

परिकल्पनाओं की जांच गैर प्राचल जांच एवं काई वर्ग विधि द्वारा की जायेगी। समंकों की उपलब्धता के आधार पर जांच के लिए उपयुक्त परीक्षण उपयोग में लिये।

समग्र/नमूना

शोध में शोधार्थी द्वारा झुंझूनूं की सम्पूर्ण ग्राम पंचायत का लगभग 8 प्रतिशत लिया

निष्कर्ष

सिद्धांत में पंचायती राज संस्थाएँ हालॉकि बेहद अच्छी पहल है, लेकिन इनकी वास्तविकता उतनी अच्छी नहीं रही। खराब प्रतिनिधित्व, अपने क्षेत्र के निवासियों द्वारा सहभागी तरीके से लिए गए फैसलों को लागू करने में असफलता और धनराशियों में हेराफेरी के कारण बहुत सी पंचायती राज संस्थाओं की आलोचना की गई हैं। पंचायती राज संस्थाओं में नागरिकों की भागीदारी तब अधिक सार्थक होगी जब लोगों के पास पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेने के लिए सूचनाएँ होगी और वे, निर्णय प्रक्रियाओं में अफवाहों या आधे सच के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक तथ्यों के आधार पर भाग लेंगे। व्यवहार में सूचना का अधिकार लोगों को आवेदन करने पर पंचायती राज संस्थाओं के पास मौजूद सूचनाओं तक पहुँच बनाने का एक साधन ही नहीं प्रदान करता, बल्कि स्वयं पंचायतों का भी कर्त्तव्य है कि वे महत्त्पूर्ण सूचनाओं को अपनी पहल पर सार्वजनिक करें। उदाहरण के लिए, ग्राम सभा की बैठकों में सूचनाओं का आदान–प्रदान करने, सूचना पटल पर सूचनाओं को प्रदर्शित करने, गॉव में लाउड स्पीकर के जरिए या सरकारी गजट या स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन के द्वारा। जनता के द्वारा सूचना के अधिकार से संबंधित सामान्य कानूनों के उपयोग के बारे में बहुत सारा लेखन पहले से ही हो चुका है। इसलिए ये पेपर खास तौर पर राज्य पंचायती राज अधिनियम और संबंधित नियमों में शामिल सूचना को सार्वजनिक करने के प्रावधानों का विश्लेषण करने और उन्हें आगे बढाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- आलपोर्ट, एफ0एच0 (2007), ''सोशल साइकॉलाजी'', हॉगटन मिफिन कम्पनी, वोस्टन
- एकॉफ, आर0एल0 (1965), ''दी डिजायन ऑफ सोशल रिसर्च'', दी यूनीवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रैस, शिकागो
- अग्रवाल, जी0के0 एवं पॉण्डेय, एस0एस0 (2006), ''ग्रामीण समाजशास्त्र'', आगरा बुक डिपो, आगरा
- बनार्ड, एस0 फिलिप्स (2005), ''सोशल रिसर्च स्ट्रेटेजी एण्ड टैक्टिस'', मैकमिलन एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क
- बोगार्ड्स, ई0एस0 (2010), ''इन्ट्रोडक्शन टू सोशल रिसर्च'', मैकमिलन एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क
- भनौट, शिवकुमार (2000), ''राजस्थान में पंचायत व्यवस्था'', यूनिवर्सिटी बुक डिपो, जयपुर
- बघेल, डी0एस0 (2004), ''समाजशास्त्र'', कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल
- क्रेच, डी0 एण्ड क्रेचफील्ड, आर0एस0 (1955), ''दी थ्योरी एण्ड प्राब्लम्स ऑफ सोशल साइकोलाजी'', मैकमिलन एण्ड कम्पनी, लन्दन
- कोहन, एम0आर0 एवं नॉगल, ई0 (1934), ''एन इन्ट्रोडक्शन टू लाजिक एण्ड साइंटिफिक मैथड'', हार्कोर्ट एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क
- चौहान, बृजराज (1967), ''लीडरशिप इन राजस्थान विलेज'', इन विद्यार्थी, एल0पी0 (सम्पा0) लीडरशिप इन इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे
- डेविस, किंग्सले (2011), ''ह्यूमन सोसायटी'', मैकमिलन एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क
- द्विवेदी, राधेश्याम (2002), ''मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम'', सुविधा ला हाउस, भोपाल
- दर्शनकर, अर्जुन (1979), ''लीडरशिप इन पंचायत राज'', पंचशील प्रकाशन, जयपुर
- 73 वॉ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
- पंचायती राज अधिनियम, 1994
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम 1959

❑❑❑